फर्द–अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला–अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या– १७/२०२२

....बनाम........................

अन्तर्गत धारा:–........................

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज	
	२४/१/२०२५ पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित है। वकील प्रतिवादी उपस्थित है। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते वाद पत्र विड्रो करने हेतु नियत है। पत्रावली का तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकार का मनन किया गया। दौरान बहस वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. में निवेदन किया गया कि वादीयां इस वाद पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः वादीयां भविष्य में नया वाद पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र विड्रो (वापस) करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रो सहमाविक रूप से पेश किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना, तथा पक्षकारान के मध्य कोई दुरभि संधि नहीं है। ~~[illegible]~~ किसी भी वाद पत्र प्रार्थना पत्र में स्वामी होता है। वादी वादी/प्रार्थी "वाद पत्र/प्रार्थना पत्र का अपने वाद पत्र को किसी भी स्तर पर विड्रो करने तथा कार्यवाही नहीं चाहने का अधिकार रखता है। अतः वादीयों के नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये, वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर समाप्त ~~कार्यवाही~~ करने के आदेश प्रदान किये जावें। वकील वादी के कथनों को सुनने के उपरान्त वकील प्रतिवादी को उक्त प्रा0 पत्र के संबंध में लगातार उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)	

फर्द—अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला—अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या—117/2022

.... बनाम ....

अन्तर्गत धारा:— ....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज
	सुना गया। वकील प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण न्यायालय में विधिवत दर्ज किया जाकर, जवाब प्रतिवादी नियत किया गया था। जिसमें प्रतिवादी सं 1, 2, 3 तथा प्रक्रोमी प्रतिवादी सं 6 व 7 द्वारा जवाब दावा पत्र पेश किया जाने के उपरान्त पत्रावली में प्राथमिक डिक्री आदेश वास्ते बंटवारा पारित किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार भिनाय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। वर्तमान में पत्रावली वास्ते बहस/आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव बाबत नियत है। ऐसी परिस्थिति में वकील वादी/वादीयों द्वारा संशोधन वाद पत्र पेश किया गया है। जो स्वीकार योग्य नहीं है। इससे यह साबित होता है कि वादीयां द्वारा केवल प्रतिवादीगणों को हैरान परेशान करने की नियत से यह वाद पत्र दुर्भावनास्वरूप पेश किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर, पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही बाबत आदेशित किया जावे। वकील उभय पक्षकार की बहस को मनन किया गया। पूर्ण पत्रावली का मनन किया गया। बाद उक्त अवलोकन तथा मनन पाया गया कि, प्रतिवादीगण लगातार…
	उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

फर्द–अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला–अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या–117/2022

....बनाम...

अन्तर्गत धाराः–...

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज
	द्वारा वाद पत्र में जवाब पेश किया गया है। पत्रावली में कोई प्रतिदावा प्रतिवादीगणों की ओर से अभिलेख पर नहीं है। वादीयां प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिये वादीयां तथा वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC वास्ते वाद पत्र विड्रो किये जाने बाबत पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पर कोई कार्यवाही आगे अपेक्षित नहीं रह जाता है। अतः वकील वादी/वादीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ~~बाबत~~ तथा मौखिक निवेदन स्वीकार किया जाकर, वादीयों के नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये, वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास दिनांक 24/1/24 को सुनाया गया
	उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner